

भारतीय मानक ब्यूरो
(सर्तकता विभाग)


हमारा संदर्भ: सर्तकता/10:13/2018-19

दिनांक: 01.01.2019

विषय: **समूह 'क' अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 01 2019 तक की) वार्षिक अचल सम्पत्ति की रिटर्न जमा करना ।**

समूह 'क' के सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के अनुसार वर्ष 2018 (01 01 2019 तक की) वार्षिक अचल सम्पत्ति की रिटर्न दिनांक **31 जनवरी 2019** तक सर्तकता विभाग को भेजें ।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है की उक्त विषय पर डी.ओ.पी.टी. के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बीआईएस के ऐसे सभी अधिकारी जो दिनांक 01.01.2019 की अपनी एआईपीआर 31.01.2019 तक भरकर प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी।


वैज्ञानिक-एफ (सर्तकता)

भामाब्यूरो मुख्यालय के सभी विभागों/अनुभागों, प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा, केन्द्रीय प्रयोगशाला/सभी क्षेत्रीय/शाखा/निरीक्षण कार्यालयों को परिचालित

प्रतिलिपि : प्रमुख आईटीएस - इन्टरनेट पर होस्ट करने हेतु।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Vigilance Department)

Our Ref: Vig/10:13/2018-19

01.01.2019

**Sub: *Furnishing Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018
(as on 01 January 2019) by Group A officers***

All Group 'A' officers are requested to submit their Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018 (as on 01 January 2019) as per Rule 18(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964 to Vigilance Department, BIS HQrs latest by **31st Jan 2019**.

It is brought to the notice of all concerned that in compliance with DoPT guidelines on the subject, vigilance clearance shall not be granted for all such officials of BIS who do not submit their AIPR (as on 01st January 2019) latest by 31st Jan 2019.


Scientist-F (Vigilance)

Circulated to all Departments/Sections at HQrs, Training Institute-Noida, CL and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS

Copy to H(ITS) to host on BIS-Intranet